संख्या-40/2016/1500 ई-2/तेरह-2016-101/2015

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

महोदय,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 24 जून, 2016

विषय: आबकारी विभाग में आगामी सुरक्षा होलोग्राम आर्पूतक के चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- जी-138/दस-लाइसेंस-41/ होलोग्राम टेण्डर/2015-16 दिनांक 24 नवम्बर, 2015, पत्र संख्या- जी-145/दस-लाइसेंस-41/ होलोग्राम टेण्डर/2015-16 दिनांक 10 दिसम्बर,2015, पत्र संख्या- जी-178/दस-लाइसेंस-41/ होलोग्राम टेण्डर/2015-16 दिनांक 29 जनवरी,2016, पत्र संख्या- जी-239/दस-लाइसेंस-41/ होलोग्राम टेण्डर/2015-16 दिनांक 09 मार्च, 2016, पत्र संख्या- जी-26/दस-लाइसेंस-41/ होलोग्राम टेण्डर/2015-16 दिनांक 03 मई, 2016, पत्र संख्या- जी-29/दस-लाइसेंस-41/ होलोग्राम टेण्डर/2015-16 दिनांक 05 मई, 2016, पत्र संख्या- जी-41/दस-लाइसेंस-41/ होलोग्राम टेण्डर/2015-16 दिनांक 16 मई, 2016 तथा पत्र संख्या- जी-47/दस-लाइसेंस-41/ होलोग्राम टेण्डर/2015-16 दिनांक 22 मई, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी विभाग में आगामी सुरक्षा होलोग्राम आर्पूतक के चयन के सम्बन्ध में आपके उक्त पत्रों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव तथा टेण्डर डाक्यूमेन्ट एवं संशोधित टेण्डर डाक्यूमेन्ट के सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिया गया है:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि टेण्डर डाक्यूमेन्ट में उल्लिखित शर्तें एवं प्राविधान उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर वित्त विभाग एवं लघु उद्योग विभाग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप हैं। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि टेण्डर डाक्यूमेन्ट में निर्धारित मापदण्डों यथा-टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, नेटवर्थ एवं टर्नओवर आदि का निर्धारण इस प्रकार किया जाय कि

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

किसी फर्म विशेष को लाभान्वित होने की स्थिति न हो तथा मापदण्ड इतने उच्च भी न हों कि अपेक्षित संख्या में फर्में टेण्डर में भाग न ले सकें एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के आधार पर न्यूनतम दर प्राप्त होने में कठिनाई हो। मापदण्ड इतने शिथिल भी न हों कि ऐसी फर्में जो अपेक्षित अर्हता एवं गुणवत्ता की पूर्ति नहीं करती हैं, वे भी भाग लेने हेतु अर्ह हो जायं।

(2) सुरक्षा होलोग्राम आर्पूतक के चयन/नियुक्ति आदि के सम्बन्ध् में प्रस्तावित निविदा प्रपत्र Long Term Running Contract की परिधि में आता है। अत: सुरक्षा होलोग्राम आर्पूतक के चयन/नियुक्ति आदि के सम्बन्ध में निविदा एवं अनुबन्ध निष्पादन की कार्यवाही करते समय उत्तर प्रदेश प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स),2016 सुसंगत प्राविधानों एवं सिद्धान्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक का कार्यकाल अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर होने के दिनांक से 03 वर्ष का होगा, जिसे अनुबन्ध पत्र में विहित शर्तो एवं निर्धारित दरों पर अधिकतम 06 माह तक बढ़ाया जा सकेगा।

(4) आबकारी विभाग में सुरक्षा होलोग्राम आर्पूतक के चयन/नियुक्ति आदि के सम्बन्ध् में कार्यवाही स्वच्छ, पारदर्शी, निष्पक्ष एवं विधिसम्मत ढंग से आबकारी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी तथा इस सम्बन्ध में शासन का अन्तिम अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

अत: आप द्वारा उपलब्ध कराये गये टेण्डर डाक्यूमेन्ट (यथासंशोधित), जिसे न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा विधीक्षित कर दिया गया है, को उक्त प्रस्तर-2(3) में उल्लिखित संशोधन सहित अनुमोदनोपरान्त मूलरूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुये आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रस्तर-2 में उल्लिखित निर्णय के अनुसार प्रकरण में आगामी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in